132

नकल आदेश दिनांक- 23-11-22 अन्तर्गत धारा 80 उ०प्र०
रा० संहिता 2006 वाद संख्या- 202204680601170
हि०न० बी० एड० कॉलेज आफ एजुकेशन मैनेजमेंट द्वारा
बुलन्दशहर बनाम उ०प्र० सरकार ग्राम- जादा पहेला
पीतामपुर तहसील- सदर जिला- बुलन्दशहर न्यायालय
उपजिलाधिकारी सदर बुलन्दशहर आदेश दिनांक 23-11-22

नोट- आदेश की प्रमाणित छाया प्रति पत्रावली के साथ में संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-9990/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202204680609990
एन०बी०एस० कालेज आफ एजूकेशन मैनेजमेंट भादा,सुलतानपुर । बनाम उ०प्र० सरकार।
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद एन0बी0एस0 कालेज ऑफ एजूकेशन मैनेजमेंट भादा। सुलतानपुर सचांलित द्वारा ट्रस्ट नरायनपुर मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक नरायनपुर मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा संख्या 242कमि0 / 0.3800हे0 में से 0.3420हे0 भूमि स्थित ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के साथ नकल खतौनी, नकल खसरा, नक्शा नजरी तथा स्थल की फोटो, स्वयं का शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

पत्रावली स्थलीय जांच आख्या हेतु तहसीलदार सदर को प्रेषित की गयी। निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 01.11.2022 पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार सदर ने एन0बी0एस0 कालेज ऑफ एजूकेशन मैनेजमेंट भादा। सुलतानपुर सचांलित द्वारा ट्रस्ट नरायनपुर मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक नरायनपुर मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (यथा संशोधित, 2016) की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत गाटा संख्य 242कमि0 / 0.3800हे0 में से 0.3420हे0 को गैर–कृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की गयी है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 85(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क की धनराशि तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 191 उपनियम (2) तथा परिशिष्ट–1 के कालम 13 के अनुसार न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प के आगणन हेतु उपनिबन्धक सदर सुलतानपुर से आख्या प्राप्त की गयी।

उपनिबन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद भूमि का सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क की धनराशि मु0 11290.00 रू0 एवं न्याय शुल्क मु0 11290.00 रू0 आगणित कर प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार सदर एवं उपनिबन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु नियमानुसार उद्घोषणा शुल्क के रूप में देय धनराशि एवं न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प अदा करने हेतु वादी को प्रारूप 25 (ख) पर नोटिस जारी किया गया।

वादी द्वारा उद्घोषणा शुल्क की धनराशि मु0 11290.00 रू0 (मु0 ग्यारह हजार दो सौ नब्बे रूपया मात्र) जमा कोष कर चालान की मूल प्रति दाखिल किया है तथा 11290.00 रू0 (मु0 ग्यारह हजार दो सौ नब्बे रूपया मात्र) का स्टाम्प न्याय शुल्क के रूप में दाखिल किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतौनी वर्ष 1426–1431 फ0 के खाता

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-9990/2022
कंप्युटरीकृत वाद संख्या :-T202204680609990
एन०बी०एस० कालेज आफ एजूकेशन मैनेजमेंट भादा सुलतानपुर । बनाम उ०प्र० सरकार।
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

संख्या 37 की गाटा संख्या 242कमि0/0.3800हे0 में से 0.3420हे0 पर वादी एन0बी0एस0 कालेज ऑफ एजूकेशन मैनेजमेंट भादा। सुलतानपुर सचांलित द्वारा ट्रस्ट नरायनपुर मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक नरायनपुर मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर खातेदार के रूप में अंकित है। तहसीलदार सदर द्वारा वाद भूमि गाटा संख्या 242कमि0/0.3800हे0 में से 0.3420हे0 के अंश को गैर–कृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा वाद भूमि को गैर–कृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु स्वयं का शपथ–पत्र दाखिल किया गया है। तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में आदेश किया जाता है कि ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतौनी वर्ष 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 37 की गाटा संख्या 242कमि0/0.3800हे0 में से 0.3420हे0 भूमि **अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है।** तद्नुसार उद्धरण खतौनी में आदेश की प्रविष्टि वाले कालम में यह आदेश अंकित हो, तथा भविष्य में बनने वाली खतौनियों में भी अंकित होता रहेगा। वाद भूमि भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :–

23/11/22

(चन्द्र प्रकाश पाठक),
उपजिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर

सत्य–प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी सदर
सुलतानपुर
24/11/22

प्रार्थना पत्र संख्या 1290
प्रार्थना पत्र दिनांक 24/11/22
मूल टिकट 12
तैयारी का दिनांक 24/11/22
वितरण दिनांक 24/11/22
जारी करने का दिनांक 24-11-22

1388

नकल आदेश दिनांक 23-11-22 अन्तर्गत धारा 80 उ०प्र०
राजस्व संहिता 2006 वाद संख्या-T-202204680609991
माँ माहेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरीटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर
सुल्तानपुर बनाम उ०प्र० सरकार ग्राम जादा [illegible]
तहसील – सदर जिला सुल्तानपुर न्यायालय
उपजिलाधिकारी सदर सुल्तानपुर निर्णय दि० 23-11-22

नोट- आदेश की प्रमाणित छाया प्रति नकल के साथ में संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-9991/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202204680609991
मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चेरीटेबुल टस्ट नरायनपुर सुल०। बनाम उ०प्र० सरकार।
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा संख्या 242कमि0/0.2520हे0, 242ख/0.1683हे0 भूमि स्थित ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के साथ नकल खतौनी, नकल खसरा, नक्शा नजरी तथा स्थल की फोटो, स्वयं का शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

पत्रावली स्थलीय जांच आख्या हेतु तहसीलदार सदर को प्रेषित की गयी। निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 01.11.2022 पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार सदर ने मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (यथा संशोधित, 2016) की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत गाटा संख्य 242कमि0/0.2520हे0, 242ख/0.1683हे0 को गैर–कृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की गयी है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 85(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क की धनराशि तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 191 उपनियम (2) तथा परिशिष्ट–1 के कालम 13 के अनुसार न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प के आगणन हेतु उपनिबन्धक सदर सुलतानपुर से आख्या प्राप्त की गयी।

उपनिबन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद भूमि का सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क की धनराशि मु0 13880.00 रू0 एवं न्याय शुल्क मु0 13880.00 रू0 आगणित कर प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार सदर एवं उपनिबन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु नियमानुसार उद्घोषणा शुल्क के रूप में देय धनराशि एवं न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प अदा करने हेतु वादी को प्रारूप 25 (ख) पर नोटिस जारी किया गया।

वादी द्वारा उद्घोषणा शुल्क की धनराशि मु0 13880.00 रू0 (मु0 तेरह हजार आठ सौ अस्सी रूपया मात्र) जमा कोष कर चालान की मूल प्रति दाखिल किया है तथा 13880.00 रू0 (मु0 तेरह हजार आठ सौ अस्सी रूपया मात्र) का स्टाम्प न्याय शुल्क के रूप में दाखिल किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतौनी वर्ष 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 53 की गाटा संख्या 242ख/0.1683हे0 व खाता संख्या 150 की गाटा संख्या 242कमि0/0.2520हे0 पर वादी मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर खातेदार के

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या,जनपद :सुल्तानपुर,तहसील :सदर
वाद संख्या :-9991/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202204680609991
मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरीटेबुल टस्ट नरायनपुर सुल०। बनाम उ०प्र० सरकार।
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

रूप में अंकित है। तहसीलदार सदर द्वारा वाद भूमि गाटा संख्या 242कमि0/0.2520हे0, 242ख/0.1683हे0 के अंश को गैर–कृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा वाद भूमि को गैर–कृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु स्वयं का शपथ–पत्र दाखिल किया गया है। तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में आदेश किया जाता है कि ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतौनी वर्ष 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 53 की गाटा संख्या 242ख/0.1683हे0 व खाता संख्या 150 की गाटा संख्या 242कमि0/0.2520हे0 भूमि **अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है।** तदनुसार उद्धरण खतौनी में आदेश की प्रविष्टि वाले कालम में यह आदेश अंकित हो, तथा भविष्य में बनने वाली खतौनियों में भी अंकित होता रहेगा। वाद भूमि भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :–

23/11/22

(चन्द्र प्रकाश पाठक),
उपजिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर

सत्य–प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी सदर
सुलतानपुर
24/11/22

प्रार्थना पत्र संख्या 1241
प्रार्थना पत्र दिनांक 24/11/22
मूल टिकट 12
तैयारी का दिनांक 24/11/22
वितरण दिनांक 24/11/22
जारी करने का दिनांक 24/11/22